

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017


केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(99)एफ.डी./टैक्स/07-66 दिनांक 14.02.2008 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए एक ही स्वामित्व के अधीन भिन्न-भिन्न उद्यमों में संयंत्र और मशीनरी में किया गया विनिधान एक साथ क्लब नहीं किया जायेगा।”

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-95]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**


In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12 (99) FD / Tax / 07-66 dated 14.02.2008, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

At the end of the said notification the following Explanation shall be added, namely:-

“Explanation: For ascertaining the status of Micro and Small Enterprise, under this notification, the investment made in Plant and Machinery in different enterprises set up under the same ownership shall not be clubbed.”

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-95]
By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government